न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर. खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी :– सुरेश कुमार बलाई (आर.ए.एस)

प्रार्थनापत्र संख्या	दायर दिनांक	आदेश दिनांक
83/2024	04.09.2024	17.06.2025

बउनवान

1. **सुधा पत्नी लालाराम जाति अहीर निवासी उलाहेडी तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।**

:– प्रार्थी

बनाम

1. **श्रीमान तहसीलदार मुण्डावर, लैण्ड होल्डर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।**

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :– अन्तर्गत धारा 136
भू राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि :–

1. यह है कि उक्त आराजी ख0न0 1142 रकबा 0.01 हैक0, 1143 रकबा 1.51 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.52 हैक का 1/6 भाग, वाके ग्राम उलाहेड़ी तह0 मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राज0 में स्थित है। जो प्रस्तुत वाद में विवादित आ० कहलायेगी।
2. यह है कि आ० हाल ख0न0 1142 रकबा 0.01 हैक0, 1143 रकबा 1.51 है० कुल किता 2 कुल रकबा 1.52 हैक० साबिक ख0न0 856 मिन 01 रकबा 1.52 हैक0 का 1/3 भाग विक्रेता चिरंजीलाल पुत्र किशोरीलाल का राजस्व ग्राम उलाहेडी में स्थित था जिस में से श्रीमति रेखा पत्नी शेरसिंह 1/2 हिस्सा व श्रीमति सुधा पत्नी लालाराम उर्फ सोमवीर 1/2 हिस्ता दिनांक 11/11/2005 को जर्ये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद किया था मिनवादीया व उसके पति के समस्त दस्तावेजात मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड एंव स्कूली अंकतालिका इत्यादि में लालाराम पुत्र रोहिताश दर्ज है चूंकि मिनवादीया के पति को गांव में सोमवीर व लालाराम दोनो नामों से जाना व पहचाना जाता है जबकि सभी रिकार्ड में लालाराम ही दर्ज है बैयनामा लिखाते समय मिन वादिगण के जेठानी रेखा देवी पत्नी शेरसिंह का नाम तो सही लिखा गया लेकिन मिनवादीया के पति का नाम दिनांक 11/11/2005 को बैयनामा लिखवाते समय गांव के

उपखण्ड अधिकारी
मुण्ड़ावर (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

पढे लिखे व्यक्ति जो साथ गये थे उन्होंने बैयनामा लिखने वाले को जो नाम (सोमवीर) बताया वही नाम सहवन से बैयनामा में लिखा गया वादीया द्वारा कराये गये बैयनामा की तारीख को केता को आई० डी० सम्बन्धी दस्तावेज की जांच किया जाना आवश्यक नहीं था इस कारण से बैयनामा (डीड) राईटर द्वारा सहवन से की गयी त्रुटि सहित उक्त बैयनामा तस्दीक हो गया और उसी अनुसार त्रुटि शुदा बैयनामा वादीया के पति का नाम (सुधा पति सोमवीर) ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो गया तथा हाल ख0न0 1142, 1143 के राजस्व रिकार्ड में गांव में बोलता नाम सोमवीर होने के कारण लालाराम के बजाय सहवन से सोमवीर दर्ज हो गया। जबकि वादीया के पति का सही नाग सभी दस्तावेजो में लालाराम है, सोमवीर सहवन से गलत दर्ज चला आ रहा है जो प्रार्थीगण के हिस्से तक प्रार्थीगणध्वादीगण के हक हकूको के खिलाफ बातिल वो बेअसर है काबिल दुरुस्ती है।

3. यह है कि मिन वादीया नं० 1 के पति को गांव में सोमवीर के नाम से जाना व पहचाना जाता है मिन वादीया का पति कम पढा लिखा ग्रामीण व्यक्ति है जिसके मतदाता पहचान पत्र व आधार कार्ड राशन कार्ड, व समस्त दस्तावेजों में सदैव से लालाराम पुत्र रोहिताश दर्ज है तथा हाल ख0न0 1142, 1143 भूमि के राजस्व रिकार्ड में सुधा पति सोमवीर दर्ज है। वादीया नं० 1 के पति ने वादिया सुधा देवी पत्नी सोमवीर के नाम से खरीद किया था मिन वादिया अनपढ ग्रामीण महिला जो केवल हस्ताक्षर करना जानती है जिसमें वैयनामा कराते समय गांव के समझदार लोगो को साथ लेकर आये थे जिन्होनें बैयनामा लिखने वाले को गांव में बोलता नाम सुधा देवी पत्नी सोमवीर बताया गया तथा सब रजिस्ट्रार कार्यालय में सुधा पत्नी सोमवीर लिखा गया और उसी अनुसार बैयनामा का अमल करते समय राजस्व कर्मचारीयों ने सुधा पत्नी सोमवीर दर्ज कर दिया जो गलत है मिन वादीगण के हक व अधिकारों के विरूद्ध बातिल वो बेअसर है ना काबिल पाबंदी है काबिल दुरुस्ती है।

4. यह है कि मिन वादीगण की आराजी विवादित उक्त ख०नम्बरान दो राजस्व रिकार्ड में त्रुटि होने से मिन वादीगण की स्वयं की कब्जेकारत खातेदारी की कृषि भूमि के बाबत सरकार से मिलने वाले विभिन्न प्रकार के लाभ प्रधानमंत्री योजना से मिलने वाली राशि तथा कृषि ऋण जैसे लाभ वादीगण नहीं प्राप्त कर पा रहे है वादीया के पति का अपने राजस्व रिकार्ड में नाम लालाराम के स्थान पर गलत नाम जो सोमवीर दर्ज है को दुरूस्त कराने का प्रति० न० 1 के समक्ष कई बार उप० होकर प्रयास किया, लेकिन प्रतिवादीगण ने दि0 20/08/24 को स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया तथा अदालत के आदेश लाने को कहा तो अविलम्ब ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रैवेन्यू एक्ट 1956 पेश करना आवश्यक आया है।

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि
अतः प्रा०पत्र/वादपत्र स्वीकार फरमाया जाकर तहसीलदार मुण्डावर को आदेश दिया जावे कि प्रार्थीगण/वादीगण का नाम आ० हाल ख० न0 1142 रकबा 0.01 हैक0, 1143 रकबा 1.51 हैक0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.52 हैक0 का 1/6 भाग वाके ग्राम उलाहेड़ी तह० मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज० के राजस्व रिकार्ड में सद्भाविक त्रुटि से दर्ज सुधा पत्नी सोमवीर को दुरूस्त कर सुधा पत्नी लालाराम दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावे, इसी प्रकार तहसीलदार मुण्डावर को अहकाम जारी हो। श्रीमान की महति कृपा होगी।

अप्रार्थी की विधिवत रूप से तामिल करवाई गई विधिवत रूप से तामिल होने उपरान्त अप्रार्थी ने जबाव प्रस्तुत किया गया, जो पत्रावली शामिल है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन हाल जमाबन्दी सम्वत 2072–75, नकल रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 11.11.2005, नकल 08 वीं अंकतालिका, नकल परिवार राशन कार्ड लालाराम,, नकल पैन कार्ड लालाराम, नकल जनाधार कार्ड लालाराम, नकल आधार कार्ड लालाराम, नकल वोटर कार्ड लालाराम, सुधा का शपथ पत्र, रेखा पत्नी शेरसिंह का शपथ पत्र, अभय सिंह का शपथ पत्र पेश किये।

प्रार्थी वकील ने अपने बहस के दौरान कथन कहे कि विवादित आराजी प्रार्थी की खरीद शुद्वा आराजी है। रजिस्टर्ड बैयनामा लिखवाते समय सहवस से सुधा पत्नी लालाराम के स्थान पर सुधा पत्नी लालाराम दर्ज हो गया जबकी प्रार्थी के पति का नाम सोमवीर ना होकर लालाराम है। प्रार्थी के समस्त दस्तावेजात में सुधा पत्नी सोमवीर ना होकर सुधा पत्नी लालाराम दर्ज है। इसलिए प्रार्थी अपने पति का नाम सोमवीर के स्थान पर लालाराम दर्ज करवाना चाहती है। प्रार्थी का पति का सोमवीर के स्थान पर लालाराम विवादित आराजी में दर्ज किये जाने का श्रम करे।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, प्रस्तुत दस्तोवजात व प्रार्थी वकील की बहस पर मनन करनें पर विवचेन इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात में सुधा पत्नी सोमवीर ना होकर सुधा पत्नी लालाराम दर्ज है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

आदेश

उक्त विवेचन के अनुसार यह न्यायालय प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर विवादित आराजी खसरा नम्बर 1142/0.01 है0, 1143/1.51 है0 वाके ग्राम उलाहेडी

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0 के 1/6 भाग में दर्ज सुधा पत्नी सोमवीर को कलमजन किया जाकर सुधा पत्नी लालाराम अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार मुण्डावर को अहकाम जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 17.06.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

(सुरेश कुमार बलाई)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

Scanned with OKEN Scanner